न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/222

सुक्खा राम आत्मज भोलूराम उर्फ भोलू जाति गूर्जर निवासी ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी हरनावा पट्टी तहसील पर्वतसर जिला नागौर मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1. नौरतनमल आत्मज सुक्खा राम जाति गूर्जर निवासी हरनावदा पट्टी तहसील पर्वतसर जिला नागौर(राज0)।
2. पताशी बाई पत्नी सुक्खा राम जाति गूर्जर निवासी हरनावदा पट्टी तहसील पर्वतसर जिला नागौर(राज0)।
3. मंगनी पुत्री सुक्खा राम जाति गूर्जर निवासी हरनावदा पट्टी तहसील पर्वतसर जिला नागौर(राज0)।
4. जीमना बाई पत्नी दयाल जाति गूर्जर निवासी हरनावदा पट्टी तहसील पर्वतसर जिला नागौर(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज सांवला जाति गूर्जर निवासी ग्राम धींगडा पाचन कुई तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. जगदीश आत्मज सांवला जाति गूर्जर निवासी ग्राम धींगडा पाचन कुई तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. लाडबाई पुत्री सांवला पत्नी नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील हीकड़ जिला नीमच(मध्यप्रदेश)।
4. छोटीबाई पुत्री सांवला जाति गूर्जर निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील लीलया जिला नीमच (मध्यप्रदेश)।
5. अक्षय गोयल आत्मज आनन्द जाति महाजन निवासी सुभाष चौक टोंक(राज0)।

6. निधि जोगानी पुत्री दिनेश जोगानी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 640 टेकड़ी रोड महाराष्ट्र।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री रघुवीर सिंह राठौड़– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
(3). श्री पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट संख्या 7

निर्णय दिनांक 31.05.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 107/2019 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रानपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 847 के सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 930, 931 थे जो खाता सिवाईचक दर्ज थी। सांवला, पांचू व भोलू जी काश्तकार व्यक्ति पेशा होने तथा खसरा नम्बर 847 की भूमि पर काबिज काश्त होने से आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की बाद आवंटन सांवला, पांचू व भोलू जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गैर खातेदारी मे दर्ज की, बाद मे खातेदारी प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व पति सांवला आत्मज कालू जी का दिनांक 16.06.1997 को स्वर्गवास हो गया। बाद स्वर्गवास सांवला जी के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया। सहखातेदार पांचू जी अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बेचान कर देने से पांचू जी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गया। भोलू उर्फ भोलूराम आत्मज लक्ष्मण जी के ग्राम हरनावांपट्टी मे भी आराजी स्थित थी, जो वहां निवास करते हुए दिनांक 10.01.1982 को स्वर्गवास हो गया। भोलू उर्फ भोलूराम के नाम दर्ज ग्राम हरनावापट्टी तहसील परबतसर स्थित आराजी संख्या 186, 186/1 कुल रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादी गोदपुत्र होने व एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी होने से इन्तकाल नम्बर 628 दिनांक 10.02.1983 से वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जिसके बाद

सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 442 रकबा 0.93 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 443 रकबा 2.53 हैक्टेयर कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर कायम किये जिस पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के पास दिनांक 18.09.2017 को ग्राम रानपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 874 पर भोलूराम उर्फ भोलू आत्मज लक्ष्मण के स्थान पर इंतकाल तस्दीक करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जांच की गई। जांच पश्चात वादी को भोलूराम उर्फ भोलू जी का गोदपुत्र होने से सम्पत्ति का एकमात्र वारिस एवं काबिज होना माना। भोलू उर्फ भोलूराम आत्मल लक्ष्मण जी का एकमात्र वारिस वादी है जिसके नाम ग्राम हरनावदापट्टी स्थित आराजी गोदपुत्र व वारिस होने से दर्ज हो जाने के बाद ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा स्थित आराजी मे भी वादी का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी ग्राम रानपुर स्थित आराजी का भोलू उर्फ भोलूराम के स्वर्गवास के बाद खातेदार हो गया तथा काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष इंतकाल खोलने हेतु प्रार्थना–पत्र लगाने तथा प्रार्थना–पत्र की जांच मे वादी को वारिस माने जाने के बाद भी त्रुटिपूर्ण रूप से दिनांक 31.12.2018 करे आदेश प्रदान कर इंतकाल नम्बर 1724 से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम भोलू उर्फ भोलूराम जी के स्थान पर दर्ज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा मे अपील जैरकार है। इंतकाल की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसमे किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस कारण वादी के लिये घोषणा खातेदारी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अन्त मे वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी को ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर भोलूराम उर्फ भोलू आत्मज लक्ष्मण जी के हिस्से 1/3 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही वादी का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का हिस्सा 1/3 का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे वादी को विभाजन मे प्राप्त आराजी के उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप ना तो स्वयं करने और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दिनांक 18.08.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वादप खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के पिता एवं पति सुक्खा राम द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलांट के पिता एवं पति द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि कालू जी के दो पुत्र सांवला व पांच्या है। तथा भोलू आत्मज लक्ष्मण जो पांच्या जी की पुत्री का पति है, इस प्रकार भोलू आत्मज लक्ष्मण जी के भाणेज, सांवला व पांच्या है, जिनको संयुक्त रूप से ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा स्थित आराजी नम्बर 930 व खसरा नम्बर 931 के बाद सेटलमेन्ट नवीन नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर आराजी आवंटन की गई। उस समय की कालूजी की पत्नी सनकारी को खसरा नम्बर 857 के नवीन खसरा नम्बर 746 रकबा 0.49 हैक्टेयर का भी आवंटन किया गया, साथ ही खसरा नम्बर 828, 829, 840, 900 के हाल

खसरा नम्बर 848 रकबा 2.49 हैक्टेयर सांवला आत्मज कालू को भी आवंटन किया गया। बाद आवंटन खसरा नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर आराजी पांच्या, सांवला पिता कालू हिस्सा 2/3 व भोलू आत्मज लक्ष्मण हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया गया व तदनुसार उक्त खातेदार मौके पर काबिज काश्त रहे। बाद मे भोलू आत्मज लक्ष्मण जी अपने मूल निवास स्थान ग्राम हरनावापट्टी तहसील परबतसर मे आकर निवास करने लगे जिनका दिनांक 10.01.1982 को स्वर्गवास हो गया, और बाद स्वर्गवास उनकी ग्राम हरनावापट्टी मे स्थित खसरा नम्बर 186 व 186/1 के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 442 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 2.53 हैक्टेयर आराजी इंतकाल नम्बर 268 दिनांक 10.02.1983 को अपीलांट के पिता व पति सुक्खा राम आत्मज भोलूराम वारिस उत्तराधिकारी एवं दत्तक पुत्र होने से दर्ज की गई जिस पर जीवन पर्यन्त सुक्खाराम जी काबिज होकर काश्त कर रहे थे और उनका स्वर्गवास दिनांक 23.08.2022 के बाद से अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का वादपत्र ग्राम रानपुर स्थित कृषि आराजी के संबंध मे घोषणा खातेदारी का है जिसके संबंध मे श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है, इस संबंध मे अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरें प्रस्तुत करने के बावजूद भी दावा वादीगण खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि इंतकाल समरि प्रोसीडिंग है जिसके अनुसार किसी प्रकार के हक–हकूक प्राप्त नहीं होते है। साथ ही तहसीलदार साहब लाडपुरा द्वारा मिसल संख्या 31/18 पर पारित आदेश दिनांक 31.12.2018 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा मे अपील संख्या 25/19 प्रस्तुत कर रखी है, जिसमे दिनांक 07.02.2019 को स्थगन आदेश जारी हो रहा है। उक्त तथ्य रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी मे होने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मे वर्णित तथ्यों का गलत अर्थ लगाकर वाद को घोषणा गोदपुत्र का मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। वादी का वादपत्र मे मुख्य रूप से कथन रहा है कि भोलू आत्मज लक्ष्मण के नाम आराजी ग्राम हरनावदापट्टी के संबंध मे सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच कर अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जिसकी पालना मे आराजी दर्ज की गई जिसके संबंध मे रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई। जब एक सक्षम न्यायालय द्वारा वादी के नाम आराजी दर्ज कर दी गई तो उक्त सक्षम न्यायालय का आदेश अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसी आधार पर वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत अर्थ लगाकर दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ

न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में भोलूराम की मृत्यु दिनांक 10.01.1982 का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 03.03.1985 का प्रस्तुत किया है, अर्थात रेस्पोडेन्ट का उज्र रहा है कि ग्राम रानपुर का भोलूराम व ग्राम हरनावदापट्टी का भोलूराम अलग–अलग व्यक्ति है। उक्त उज्र भी तथ्य एवं विधि का प्रश्न है जिसे साक्ष्य से साबित किया जाना है। उक्त विधिक प्रावधानों को नजरअन्दाज कर दावा खारिज कर दिया तो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी का वादपत्र उत्तराधिकार की घोषणा का नहीं है वरन घोषणा खातेदारी का है, जिसके संबंध मे सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय है। किन्तु फिर भी वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि यदि योग्य अधीनस्थ न्यायालय वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाधित होना मानते है तो उक्त संबंध मे तनकी कायम कर उक्त तनकी के निस्तारण हेतु अन्तर्गत धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्याायलय मे आदेश हेतु भिजवाया जा सकता है। उक्त कानूनी तथ्य को नजर अन्दाज कर दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। सुक्खाराम जी का दिनांक 23.08.2022 को स्वर्गवास हो गया है जिनके एकमात्र उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान अपीलांटगण है जो प्रभावित एवं उचित पक्षकार है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1076, आर. आर.टी. 2003(1) पेज 633, 2019(2) सी.एल.एल. पेज 610(आर.), आर.एल.डब्ल्यु 2011(4) पेज 3420 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मृतक भोलू का गोदपुत्र नहीं है। मृतक भोलू के आऔलाद फोत होने से, भोलू के हिस्से की आराजी का खातेदार बनने के लिये वादी को सर्वप्रथम स्वंय को मृतक भोलू का गोदपुत्र/ उत्तराधिकारी/वारिस होना प्रमाणित करना होगा । वादी ने नायब तहसीलदार मण्डाना, जिला कोटा को मृतक भोलू के हिस्से की आराजी पर स्वयं के नाम इंतकाल खोले जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा भी मृतक भोलू के हिस्से की आराजी पर फोती इंतकाल खोले जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इसी अनुक्रम मे की गई कार्यवाही उपरान्त तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा मिसल संख्या 31/2018 के निर्णय दिनांक 21.12.2018 मे

वादी सुखाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दत्तक पुत्र का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से एवं दत्तक पुत्र साबित नहीं कर पाने एवं मौके पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर ग्राम रानपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। वादी अपीलांट को मृतक भोलू की आराजी के संबंध मे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से पूर्व सक्षम न्यायालय से स्वयं का मृतक भोलू का उत्तराधिकारी घोषित करवाना आवश्यक है, परन्तु उत्तराधिकार के संबंध मे घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2007(1) पेज 723(हाईकोर्ट), आर.आर.डी. 1991 पेज 426(बी.), डी.एन.जे. 2017(1) पेज 1 (आर.एच. सी.), आर.एल.डब्ल्यु. 2008(2) पेज 1390(आर.एच.सी.) प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अपीलांट द्वारा ग्राम रानपुर मे खसरा नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर मे सहखातेदार भोलू के हिस्सा 1/3 पर गोदपुत्र के आधार पर खातेदारी हेतु दावा प्रस्तुत किया गया तथा जिसके साक्ष्य मे अनयत्र ग्राम हरनावापट्टी तहसील परबतसर जिला नागौर की नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 तथा फोती नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 10.02.1983 प्रस्तुत किया गया है, जिसमे मृतक भोलू की आराजी पर अपीलांट वादी के एकमात्र गोदपुत्र उत्तराधिकारी होने के आधार पर वादी के खातेदारी मे दर्ज होने का उल्लेख है। ग्राम रानपुर के संबंध मे नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर.एक्ट. के तहत उक्त प्रकरण मे मिसल सख्या 31/2018 मे निर्णय दिनांक 31.12.2018 मे विवादित्त आराजी के हिस्से 1/3 पर मृतक भोलू के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक(सांवला के वारिसान) का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गए। तथा प्रार्थना–पत्र वादी अपीलांट साक्ष्य व कब्जे के अभाव मे खारिज कर दिया गया है। पत्रावली मे संलग्न भोलू के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मृत्यु दिनांक 10.01.1982 अंकित है। जबकि ग्राम पंचायत हरनावापट्टी(नागौर) से मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.05. 2018 मे भोलूराम की मृत्यु दिनांक 20.01.1982 को होना अंकित है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र मे मृत्यु दिनांक 03.05.1982 को होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय को सक्षम नहीं मानते हुए वादी अपीलांट का वाद दिनांक 18.08.2022 को खारिज किया गया। वादी ने स्वयं को मृतक भोलूराम का गोदपुत्र बताकर वाद प्रस्तुत किया है। इस सम्बंध में वादी ने ग्राम हरनावांपट्टी, तहसील परबतसर जिला नागौर की खसरा नम्बर 442, 443 रकबा 3.50 हैक्टेयर की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 पेश की है। अपील की बिन्दु संख्या 8 के अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध मे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा मे अपील संख्या 25/2019 मे यथास्थिति(स्थगन आदेश) होने की जानकारी नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 द्वारा होती है। परन्तु उक्त प्रकरण मे मानमीय न्यायालय का वर्तमान स्टेट्स अथवा न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपील के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार वादी अपीलांट अनयत्र ग्राम हरनावापट्टी(जिला नागौर) मे दर्ज फोती नामान्तरकरण संख्या 264 के आधार पर स्वंय को भोलू का वारिस मानकर ग्राम रानपुर की भूमि पर खातेदारी अधिकार चाहता है परन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण की सुनवाई कर वादी अपीलांट के गोदपुत्र होने तथा विवादित आराजी पर काबिज होने के साक्ष्यों के अभाव मे प्रार्थना–पत्र वादी खारिज किया गया है। हमारे विनम्र मत मे नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिक्सल–प्रोसेडिंग होती है। नामान्तरकरण से किसी के हक–अधिकार तय नहीं होते। ग्राम हरनावापट्टी (जिला नागौर) के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित भोलूराम पुत्र लिछमणराम तथा ग्राम रानपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भोलू वल्द लक्ष्मण दोनो एक ही है या नहीं, यह सब साक्ष्य व गवाहों के पश्चात मूलवाद के निर्णय के समय तय किया जाना उचित होगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने के आधार पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की यह फाइंडिंग रही है कि मृतक भोलू के लाऔलाद फोत हो जाने से भोलू के हिस्से की आराजी का खातेदार बनने के लिए वादी को सबसे पहले तो खुद को मृतक भोलू का गोदपुत्र/उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाणित करना होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि "वादी का यह कहना कि उनके द्वारा कृषि आराजी पर खातेदारी की घोषणा का दावा किया है तो पहले तो वह उत्तराधिकार घोषित करने के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है अर्थात उत्तराधिकार निर्धारित करने संबंधी श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर, उत्तराधिकार संबंधी अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने से वाद वादी अस्वीकार करके खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।" साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री तक उल्लेखित है कि "उत्तराधिकार निर्धारित करने संबंधी श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर तथा उत्तराधिकार संबंधी अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण विधि द्वारा अर्जित होने से वाद वादी अस्वीकार करके खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।" यहां यह विवेचन करना

आवश्यक है कि जो अनुतोष वादी द्वारा चाहा गया था वह विद्वान अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है अथवा नहीं ? हमने क्षेत्राधिकार के संबंध मे राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 207 का अवलोकन किया जिसके अनुसार " केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन–(1) तृतीय अनुसूचि के विनिर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जायेंगे।(2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय, ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, संज्ञान नहीं करेगा। स्पष्टीकरण–यदि वाद हेतुक ऐसा है जिसके बारे मे अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा अनुदत्त किया जा सकता हो तो यह बात महत्व के योग्य नहीं है कि सिविल न्यायालय से चाहा गया अनुतोष उस अनुतोष से, जो राजस्व न्यायालय अनुदत्त कर सकता था, बड़ा है या उसके अतिरिक्त है या उसके तद्रूप नहीं है।" यहां यह अवलोकन करना आवश्यक है कि वादी द्वारा वाद मे क्या अनुतोष चाहा गया था ? वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र मे प्रार्थना कर अनुतोष चाहा है कि " वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी को ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 6.20 हैक्टेयर भोलूराम उर्फ भोलू आत्मज लक्ष्मण जी के हिस्से 1/3 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी कम–1 लगायत 5 का नाम विलोपित किया जावे तथा वादी का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी 1 से 5 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी 6 व 7 का हिस्सा 1/3 का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी को विभाजन मे प्राप्त आराजी के उपयोग व उपभोग मे हस्तक्षेप ना तो स्वयं करने और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवायें एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।" इस प्रकार वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात के संबंध मे खातेदारी घोषणा व विभाजन का अनुतोष चाहा है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे वादी अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष को मुख्यतः घोषणा उत्तराधिकार की घोषणा का होना समझा गया प्रतीत होता है। जबकि वादी अपीलांट द्वारा ने अपने वादपत्र मे घोषणा उत्तराधिकार की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहकर केवल खातेदारी घोषणा एवं विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जिसके संबंध मे पूर्ण रूप से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने यह समझने मे भूल की है कि वादी उत्तराधिकार घोषित करवाने नहीं आया। वादी काश्तकारी भूमि मे स्वयं के पक्ष मे घोषणा अभिलेख दुरूस्ती तथा विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। यहॉ मूल प्रश्न एवं विषय घोषणा के अधिकार का है तथा उत्तराधिकार का प्रश्न गौण है। जब दावाकृत मुख्य अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, तो ऐसा वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। प्रस्तुत प्रकरण मे उत्तराधिकार/गोदपुत्र का प्रश्न आनुषांगिक है तथा चाहे गए प्रमुख अनुतोष के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण को देखना होगा। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत वाद से भिन्न होने के कारण उस पर चस्पा नहीं होते। हस्तगत प्रकरण मे वादी द्वारा घोषणा, विभाजन एवं स्थाई

निषेधाज्ञा का चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा देय है। वादी द्वारा किये गए कथन विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न के अधीन है। वादी अपने वाद को साबित कर पाता है या नहीं, यह प्रश्न इस स्टेज पर विचारणीय नहीं है। वर्तमान मे विचारणीय प्रश्न यह है कि वादी का वाद, जो कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का है, वह राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है या नहीं ? हमारे मत मे हस्तगत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का वादपत्र स्वयं के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होना मानकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा के प्रकरण संख्या 107/2019 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2022 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा